Environment Issues.

Q. भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण की समस्याओं का वर्णन करें।

उ० वन्य जीव :- वन और वन्यजीवों को संविधान की समवर्ती सूची मे रखा गया है, केंद्रीय मंत्रालय, वन्य जीव संरक्षण संबंधी नीतियों और नियोजन के संबंध में दिशा-निर्देश देने का काम करता है तथा राज्य वन विभागों की जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्रीय नीतियों को कार्यान्वित करें कि वे राष्ट्रीय नीतियों को कार्यान्वित करें। वन्यजीव संबंधी अपराधों को रोकने के लिए वन्यजीव संरक्षण निदेशक के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण निदेशक के अंतर्गत वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता चेन्नई और जबलपुर पांच क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अमृतसर, गुवाहाटी और कोचीन उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को मिलाकर किया गया है यह मंत्रालय विभिन्न केंद्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसमें राष्ट्रीय पार्कों तथा अभ्यारण्यों के विकास के लिए दीर्घों संबंधी

परियोजनाओं के लिए योजना वन्यजीव प्रभाग को सशक्त बनाने संबंधी केंद्रीय योजना तथा केंद्रीय स्थायी वन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को सहायता अनुदान देना शामिल है।

1. भारत में रक्षित क्षेत्र नेटवर्क में वन, राष्ट्रीय पार्क तथा 513 वन्यजीव अभ्यारण्य या संरक्षण रिजर्व तथा 4 चार सामुदायिक रिजर्वस शामिल है। हमारे रक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन संबंधी जटिल कार्य को अनुभव करते हुए 2002 में राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) को अपनाया गया जिसमें वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी तथा उनकी सहायता पर दिया गया है।

2. इस मंत्रालय ने देश भर में एक विशेषज्ञ दल द्वारा राष्ट्रीय पार्कों तथा वन्यजीव अभ्यारणों का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया ताकि निश्चित किया जा सके कि वन्यजीव प्रबंधन के लिए देश भर में संरक्षण दायित्वों तथा सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में रक्षित क्षेत्र नेटवर्क कितने कारगर प्रयास करता है।

भारत सरकार ने राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के साथ मिलकर गिद्ध संरक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार की है जो इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए लागू की जा रही है।

वन्य अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन वन्यजीव अधिनियम 1972 का संशोधन 2008 में किया गया था। इस ब्यूरो में अधिकार और दूसरे कार्यों को इस अधिनियम की धारा 38 में परिभाषित किया गया है।

भारत में विश्वस्तर के प्राकृतिक स्थलों के महत्व को देखते हुए वर्ल्ड हेरिटेज बायोडायवर्सिटी प्रोग्राम फॉर इंडिया: बिल्डिंग पार्टनरशिप टू सपोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम नाम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त परियोजना आरंभ की गई है।

वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के तत्वावधान में साइबेरियन क्रेन्स के संरक्षण के संबंध में 6वी बैठक अलमाटी कजाकिस्तान में हुई थी। साइबेरियन सारसों के लिए दो और संभावित स्थलों उत्तरप्रदेश में इटावा-भैनपुरी वनभूमि तथा गुजरात में वन्नी चारागाह पर भी विचार किया गया।

Forest Management → वन प्रबंध व्यापक अर्थ वाली वाक्यांश है जिसमें वन संरक्षण एवं विकास के सभी पक्ष सम्मिलित है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन किया जाना चाहिए, किन्तु इसमें साथ ही समाज विकास संबंधी अनिवार्य आवश्यकताओं को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए।

जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे-वैसे विकास के नाम पर वन कटते गये। सभ्यता एवं विकास की दौड़ में वनों का अंधाधुंध विनाश हुआ। मनुष्य अपनी आवश्यकतानुसार वृक्षों को काटता गया, किन्तु उनके स्थान पर रोपण का ध्यान ध्यान नहीं दिया। वर्तमान समय में भारत में कुल 19% क्षेत्र पर ही वन है। वनों का अस्तित्व और उनकी गुणवत्ता निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करती है।

1 वन रहित भूमि, गैर-वन भूमि और कृषि योग्य भूमि पर विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रमों द्वारा वनीकरण।

2 वनों के प्रबंध और विकास में वनों पर निर्भर व्यक्तियों को सहयोगी बनाना तथा वन संसाधनों का विवेक संगत उपयोग।

वनों के संरक्षण हेतु एक निश्चित नीति की आवश्यकता है। इसमें सबसे अधिक महत्व वनों में लगी आग को देना चाहिए। वनों से जुड़े व्यक्तियों को वनों की आग बुझाने के लिए भागीदारी का प्रयास करना चाहिए। कुछ व्यक्तियों दिग्भ्रमित होकर सुकोमल घास, पादप के लिए जंगल में आग लगाने का प्रयास करते हैं लेकिन यदि वनों को आग से बचाने के लिए व्यक्तियों की भागीदारी रहेगी तो इस तरह की घटनाएं कम होंगी। अनेक विकसित देशों में वनों को आग से बचाने के लिए नियमित रूप से सर्वेक्षण किया जाता है। वनों में आग बुझाने तथा उसके फैलने की गति को रोकने के लिए 'अग्नि त्रिकोण' को तोड़ना आवश्यक है। यह त्रिकोण ईंधन, तापमान और आक्सीजन है। भारत में जंगलों में लगी आग को गंभीरता से लेना होगा तथा नए सिरे से प्रयास करना होगा। वृक्षों में लगी व्याधियों एवं कीटों के प्रकोप को रोकने के लिए कीटनाशकों का वायुयान द्वारा छिड़काव किया जाना चाहिए।

वन सुरक्षा के अन्य प्रबंध:-

उपरोक्त मुख्य उपायों के अतिरिक्त वन सुरक्षा

हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए:-

1. ईंधन के वैकल्पिक साधनों, गोबर गैस, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गैस, मिट्टी तेल आदि पर जोर दिया जाए ताकि इनकी कीमतें कम की जाएं।

2. सड़कों, पुल निर्माण, इमारत, स्कूल, निर्माण की प्रक्रिया में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए दीवारें तथा पानी के निकास के लिए पक्के नाले बनाए जाएं।

3. भारी निर्माण कार्य को कम तथा विस्फोटक सामग्री के प्रयोग को बंद करें।

4. कृषि में प्रयोग होने वाले औजारों, साज-सज्जा के सामान के स्थान पर लकड़ी के विकल्प के रूप में सीमेंट, लोहा, प्लास्टिक का उपयोग किया जाए और वृक्ष विहीन क्षेत्रों को गांव के व्यक्तियों की सहभागिता से हरा-भरा किया जाए।

5. वन कर्मचारियों को कठोर प्रशिक्षण तथा सुरक्षा प्रदान की जाए तथा वनीकरण करने के पश्चात उसे प्राकृतिक साधनों के भरोसे न छोड़ा जाए।

6. अस्थिर एवं भू-स्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में कृषि को प्राथमिकता नहीं दिया जाए, क्योंकि इस प्रकार की भूमि पर बार-2 हल चलाने से भू-क्षरण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे स्थानों पर फलदार वृक्ष, चाय के बगीचे लम्बी रेशे वाली घास के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

7. 'वन-चेतना' केन्द्र की स्थापना सम्पूर्ण देश में किया जाना चाहिए।

वन महोत्सव :-

भारत में वन संपदा की वृद्धि वनों को सुरक्षित रखने, वृक्षों के प्रति व्यक्तियों में प्रेम जाग्रत करना और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए भारत सरकार ने जुलाई 1950 में वन महोत्सव मनाना प्रारम्भ किया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य देश में वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण करना था। उसी समय से देश में प्रति वर्ष जुलाई और अगस्त में वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाता है।

5 खनन और पर्यावरण

Mining and Environment

Mining खनन : खनिज प्राकृतिक, रासायनिक यौगिक होते हैं जो प्रायः अजैव प्रक्रियाओं से बनते हैं एवं पृथ्वी को चट्टानों, एवं उसके गर्त को खोदकर निकाले जाते हैं, यह क्रिया खनन कहलाती है। खनिजों को जिस स्थान से निकाला जाता है उस स्थान को खदान Mines कहते हैं।

प्राकृतिक संसाधनों में खनिज सम्पदा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी राष्ट्र की समृद्धि में उसके उपलब्ध खनिज संसाधनों का अत्यधिक महत्व है। मनुष्य सभ्यता के प्रारम्भ से ही प्राकृतिक संसाधनों द्वारा अपने जीवन को खुशहाल बनाने के प्रयास में लगा है, आधुनिक क्षेत्र में खनिज संसाधनों के महत्व की कोई सीमा नहीं है। देश में स्वतंत्र प्राप्ति के बाद खनिजों का दोहन तीव्र गति से हुआ। खनन हेतु वनों का विनाश भी बढ़ा है। सम्पूर्ण वन क्षेत्र में आग लगा दी जाती है एवं उन्हें नष्ट कर दिया जाता है।

सतह की खुली खानों से भूमि के खराब होने का तात्कालिक खतरा उत्पन्न होता है। खनन कार्य पूर्ण हो जाने के बाद खान को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। इसे पुनः सही करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता।

खेती की जमीन में खनन संबंधी गतिविधियों से उत्पादकता कम हो जाती है। खाने चाहे भूमिगत हो या जमीन के ऊपर, खुदाई और मलबा फेंकने से कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है।

खनन सम्बंधी गतिविधियों से सतही पानी के बहाव में बाधा उत्पन्न होती है। वनस्पतियां समाप्त होने से पेड़-पौधों का जल-वैज्ञानिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। जल स्तर में परिवर्तन से लवणता भी बढ़ जाती है। जब जिप्सम, बेन्टोनाइट, कुलंस अभ्र, चीनी मिट्टी आदि की खानों से निकला मलबा रेतीले मैदानों में छोड़ा जाता है तो अर्द्धपारगम्य परत बन जाती है। बरसात में इन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाने से लवणता चौर-चौर बढ़ने लगती है।

सोडियम खनिजों की खुदाई सम्बन्धी गतिविधियों से जमीन की सतह पर लवणों की मात्रा बढ़ जाने से पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ उजड़ जाते हैं तथा पर्यावरण असंतुलित होता है जिसके दुष्परिणाम होते हैं।

wet lands झील ⇒ जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थलमंडल से घिरा है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है। सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे हैं, जिनमें जल भरा होता है। झीलों का जल प्रायः स्थिर होता है। झीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका खारापन है। लेकिन अनेक झीलें मीठे पानी की भी होती हैं। झीलें भूपटल के किसी भी भाग पर हो सकती हैं। ये उच्च पर्वतों पर मिलती हैं, पठारों और मैदानों पर भी मिलती हैं तथा स्थल पर सागर तल से भी नीचे पाई जाती हैं। किसी अंतर्देशीय गर्त पर पाई जाने वाली ऐसी प्रशांत जलराशि को झील कहते हैं, जिसका समुद्र से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता। कभी-कभी इस शब्द का प्रयोग नदियों के चौड़े और

उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित है। फिनलैंड में तो इतनी अधिक झीलें है कि इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर 2,00,000 झीलें है जिसमें से 60,000 झीलें बेहद बड़ी है। पृथ्वी पर अनेक झीलें कृत्रिम है जिन्हें मानव ने विद्युत उत्पादन के लिए कृषि कार्यों के लिए या अपने आमोद - प्रमोद के लिए बनाया है। झीलें उपयोगी भी होती है स्थानीय जीवों को वे सुहावना बना देती है ये विपुल जलराशि को रोक देती है जिससे बाढ़ की संभावना घट जाती है झीलों से मछलियाँ भी प्राप्त होती है।

झीलों का जीवनकाल :-

अधिकांशत

झीलों का उद्धार :-

समुद्र, नदि या झील की भूमि को नई भूमि बनाना झील उद्धार कहलाता है जलक्षेत्रों के नीचले या आस - पास के क्षेत्रों में झील के स्तर व झील के स्तर को उठाने की प्रक्रिया को झील उद्धार कहते है। उसमें भरने के पानी को आसपास के जलीय क्षेत्रों से लिया जाता है ताकि जलीय क्षेत्रों

की गहराई को सुधारा जा सके। साथ ही झीलों के विकास के लिए उसका प्रयोग किया जा सके।

Oil Exploration and transportation

Oil (Petroleum):- पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ चट्टानों से प्राप्त होने वाला तेल है। 'पेट्रोलियम' शब्द लैटिन भाषा से बना है जिसका अर्थ है शैल या चट्टान एवं 'आलियम' का अर्थ है तेल। भूगर्भ से प्राप्त होने के कारण इसे खनिज तेल भी कहा जाता है। पेट्रोलियम विभिन्न यौगिकों को जिनमें हाइड्रोकार्बन प्रमुख रूप से होते हैं का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन से ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन एवं कार्बन होते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम में नाइट्रोजन आक्सीजन वैनेडियम एवं गंधक के यौगिक भी विद्यमान रहते हैं।

उत्पत्ति:- विश्व का लगभग 70% पेट्रोलियम समुद्री चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम प्राकृतिक तेल होता है जो मध्य जीव कल्प की अवसादी शैल में प्राप्त होता है।

खनिज तेल का एकत्रीकरण निम्न दशाओं में होता है:

1. गुम्बदनुमा भूगर्भिक संरचना जिसके झुकाव के सर्वोच्च सिरे में खनिज तेल केन्द्रित हो जाता है।

2. नमक की उपस्थिति के कारण जहाँ तहँ गोलाई में उभार आती हैं।

3. संधियुक्त चट्टानों के ऊपर अपारगम्य शैलों की उपस्थिति जिससे तेल एवं प्राकृतिक गैसें बाहर उड़कर नहीं आ सकें।

4. जहाँ चट्टानों के टूटने से बालू के पत्थर की तह में उभार आ जाता है एवं उसका मुंह बंद हो जाता है।

Uses of oil :- पेट्रोलियम के निम्नलिखित उपयोग हैं:-

1. पेट्रोलियम से प्राप्त पेट्रोलियम गैस ईंधन के रूप में रसोई घर में तथा उद्योग में काम आती है।

2. पेट्रोलियम उत्पाद गैसोलीन (पेट्रोल) मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है।

3. पेट्रोलियम उत्पाद गैस, तेल एवं डीजल तेल भट्ठी तथा डीजल ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं।

4. अन्य पेट्रोलियम उत्पाद जैसे केरोसीन (मिट्टी का तेल) घरेलू ईंधन के रूप में तथा लैम्पों में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

5. स्नेहक तेल भी एक पेट्रोलियम उत्पाद है जिसका प्रयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है।

6. पेट्रोलियम उत्पाद एस्फाल्ट का उपयोग सड़क बनाने में होता है।

* पेट्रोलियम भंडार → विश्व में खनिज तेल के सत्यापित भंडार लगभग 1000 बिलियन बेरल है। विश्व में पेट्रोल का वार्षिक उत्पादन लगभग 14.22 मिलियन बेरल है। प्रमुख उत्पादक देश रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका सऊदी अरब है। अन्य उत्पादक देश ईरान, ईराक, वेनेजुएला, कुवैत, चीन इंडोनेशिया एवं संयुक्त अरब अमीरात है।

* पेट्रोलियम का संरक्षण :-
वर्तमान समय में देश में प्रतिवर्ष 31.9 मिलियन टन निकाला जा रहा है। वर्तमान उत्पादन दर से तेल के भंडार

अधिकाधिक 50 वर्षों तक ही चलेंगे। खनिज तेल का संरक्षण उन्नतिशील तकनीकी के कारण अधिकतम प्राप्ति न्यूनतम विनाश एवं बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग में निहित है।

उपाय : इस समस्या के समाधान के तीन विकल्प हैं:

① तेल की खोज एवं उत्पादन में वृद्धि।

② ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों विशेषकर बार-बार प्रयुक्त हो सकने वाले साधनों का अधिक उपयोग करना।

③ तेल एवं ऊर्जा का अपव्यय रोकना तथा उनका कुशलता एवं मितव्ययता से उपयोग करना।

इसके अन्तर्गत देश के 176 जिलों में राष्ट्रीय बंजर भूमि सर्वेक्षण परियोजना संचालित की गई है, जिससे इन जिलों में बंजर भूमि का विस्तार, स्थान और प्रसार आदि से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की गई है। राष्ट्रीय अपशिष्ट भूमि विकास बोर्ड के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

1. अपशिष्ट भूमि पर पौधों को लगाना, जिससे देश की अच्छी भूमि का संरक्षण करना।
2. अवशिष्ट भूमि का विकास किया जाए।
3. एक राष्ट्रीय नीति का निर्धारण जिससे भूमि की गुणवत्ता बनाए रखे तथा बंजर भूमि का प्रसार न होने दे।
4. अपशिष्ट भूमि के सुधार के लिए योजनाएं तथा कार्यक्रमों का प्रबन्ध करना।

बंजर भूमि के बचाव के सरकार द्वारा किये गए उपाय:— सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम में लैंड पोर्टल बनाया है। इसके माध्यम से भूमि मालिकों को ऑनलाइन जमीन का कागज

देना होगा। उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में बंजर व परती भूमि को कृषि सम्बन्धित कार्यों के लिए लीज पर देने का ~~भूमि को कृषि सम्बन्धित~~ प्रावधान किया गया है। परती रोजगार व शिक्षा के लिए लोग पहाड़ों से पलायन कर गए, जिस कारण कृषि भूमि बंजर होती जा रही है। अगर किसान के पास जमीन होने के बाद भी खेती करने वाला कोई नहीं है तो वह संविदा खेती अपनाकर जमीन को बंजर होने से बचा सकता है इसके लिए मंडी समिति के पास आवेदन करना होगा। उस जमीन में विभिन्न-2 फसलों की पैदावार हो सकती है इसके लिए मंडी समिति निजी कम्पनियों से सम्पर्क करेगी। कम्पनी जमीन को कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल करेगी। इसकी एवज में भूमि मालिक को अंशदान मिलेगा।

Reclamation of Degraded Land

Q. अवक्रमित भूमि का सुधार कैसे हो नोट लिखें।

उ० भूमिका :-

भूमि प्रकृति का वह अनुपम उपहार है जो बुनियादी रूप से हमारे जीवन के विकास के लिए अनिवार्य है। मानव सभ्यता के विकास का इतिहास इस बात का साक्षी है कि भू-संसाधनों को जब-जब संरक्षित नहीं किया और उनका अति उपयोग या जमकर दुरुपयोग किया गया, तब-तब सभ्यताओं का विनाश हुआ। इसके बावजूद भू-संरक्षण के मामले में इस समय हमसे चूक हो रही है। हमारी घोर लापरवाही, उदासीनता, असावधानी और अनभिज्ञता की वजह से धरती का विनाश हो रहा है।

'जीवेम शरदः शतम्' - हम सौ वर्ष तक स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं।

सुजलाम् सुफलाम् शस्य श्यामलां धरती माँ को हमारे भारत देश में वंदनीय कहा गया है क्योंकि भूमि ही तो

सम्पूर्ण जीव-जगत को जीवन दान देती है। यही कारण है कि हमारे जीवन का विकास सीधे-सीधे हमारे भू-संसाधनों से जुड़ा हुआ है। भूमि प्रकृति का वह अनुपम उपहार जो बुनियादी रूप से हमारे जीवन के विकास हेतु अनिवार्य है। हमारे वैदिक ग्रंथों में भूमि की पर्याप्तता, सतत उपलब्धता और उत्पादकता वृद्धि हेतु अनेक प्रार्थनाएं की गई है। हमारे अनेक मंत्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है और मानव सभ्यता के विकास का इतिहास इस बात का साक्षी है कि भूमि सर्वोपरि है। धरती फसलों के रूप में सोना उगलती है, लेकिन पैदावार ज्यादा लेने के मोह में अब अधिकांश लोग भू-प्रबंध पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझते कितने स्वार्थी हो गए है हम ? सतत एवं व्यापक खेती और अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग से ही थकी हारी धरती कब तक हमारा साथ देगी ? लेकिन हम बेखबर है कि हमारी मिट्टी खराब हो रही है। पानी अब खुद पानी मांग रहा है और प्रदूषित हो रहा है। कारण है हमारी घोर लापरवाही, उदासीनता, असावधानी और अनभिज्ञता। अब वक्त आ गया है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर इन्हें बचाए तभी हमारा जीवन भी बच सकेगा। हम जानते है कि भू संरक्षण के मामले में हमें चूक हो रही है। किन्तु इतिहास गवाह है कि जब-जब भू संसाधनों

को संरक्षित नहीं किया गया अति उपयोग या चमकर दुरुपयोग किया गया तब-2 सभ्यताओं का विनाश हुआ। मिट्टी, पानी, हरियाली, जीव-जन्तु, फसलें, पशु-चारा, रेशे, ईंधन, औषधियाँ, फल-फूल सब्जी से लेकर रोटी, कपड़ा, मकान आदि की हमारी सभी आवश्यकताएँ भूमि की सहायता से पूरी होती है। हमारे सामाजिक व आर्थिक विकास में भी भूमि की महत्ता सर्वविदित है। पर्याप्त और उर्वर भूमि के आभाव में प्रगति तो दूर हमारा जीना भी दूभर हो जाता है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि की मांग का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। गांव, खेत, शहर सब बढ़ रहे है। विभिन्न प्रयोजनाओं के लिए भूमि की मांग दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। दूसरी ओर निरंतर जंगलो का सफाया, अनियोजित, बाढ़, सूखे आदि से भूमि संसाधनो का अपक्षरन हो रहा है, अतः आवश्यकता इस बात की है कि अब प्रति व्यक्ति भूमि संसाधनो का अनुकूलतम उपयोग लेकिन किसी भी दृष्टि से उनका क्षरण होना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन की विकास यात्रा भूमि पर ही निर्भर करती है।

सुझाव

भू-क्षरण को कम एवं नियंत्रित करने, भूमि की जलधारण क्षमता में वृद्धि करने, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने

भूमि में नमी को संरक्षित करने तथा भूमिगत जल के गहराते संकट को दूर करने के संबंध में प्रेरक स्लोगन एवं काव्यात्मक नारे कपड़े के बैनर्स, स्टिकर्स तथा दिवार पर लेखन द्वारा लोकप्रिय बनाया जाए खासकर छात्रों, ग्रामीण युवाओं व महिलाओं की उसमें भागीदारी बढ़ाई जाए। सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों तथा विभिन्न प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जाए। जन जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटकों, मेलों प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों सभाओं के आयोजन हेतु अभियान चलाया जाना चाहिए। पेशेवर लेखकों से प्रचार कराया जाए।

* भूमि संसाधनों के संरक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाए ताकि दूसरे लोग उनसे प्रेरणा लें और इस प्रकार का आत्म प्रेरणा का क्रम शुरू हो सके।

अपनी वसुंधरा को बचाने हेतु स्वेच्छा से दान देने वाले का आह्वान हो और प्राप्त दान पर आयकर से छूट दिलाने का प्रयास किया जाए ताकि भू-संरक्षण निधि ~~की छूट दिलाने~~ स्थापना की जा सके, कम बजट से अधिकतम प्रचार हेतु संचार विशेषज्ञों की सलाह ली जाए

भूमि संरक्षण से सम्बन्धित सभी विशेषज्ञों की सलाह ली जाए। भूमि सार्वजनिक रूप से भी सुझाव आमन्त्रित किये जाए। अखबारों में सतत् लेखन तथा रेडियो टीवी प्रसारण द्वारा लोगों को चेतावनी जाए यदि संरक्षण नहीं हुआ तो भूमि का क्षरण होता रहेगा और भयंकर दुष्परिणाम होंगे। उन्हें बताया जाए कि उन्हें क्या करना है, वे क्यों क्या कर सकते हैं। इन सब प्रयासों से जागरूकता बढ़ेगी और परिणाम चमत्कारी एवं आश्चर्यजनक रूप से लाभकारी होंगे। आवश्यकता इस बात की है कि लोगों की भावनाएँ जगाई जाएँ। चरती को तो हमारे देश में माँ का दर्जा दिया है, वस्तु का भी यही तकाजा है क्योंकि भूमि संसाधनों का संरक्षण जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है।